न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या– अपील डिक्री/टीए/4761/2006/भरतपुर

1– सरवेश सिंह

2– गोपाल सिंह

3– नरेश सिंह

4– महेश सिंह

5– रमेश सिंह

6– महेन्द्र सिंह

समस्त पिसरान सरदार सिंह जाति ठाकुर निवासी बौलखेड़ा तहसील कामां जिला भरतपुर।

–अपीलांटस

बनाम

1– गोविन्द सिंह पुत्र रघुवीर सिंह जाति ठाकुर निवासी बौलखेड़ा, तहसील कामां, जिला भरतपुर।

2– राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील कामां, जिला भरतपुर।

–रेस्पोडेन्ट्स

खण्डपीठ

श्री रामदयाल मीणा, सदस्य
श्री पुरूषोत्तम लाल सैनी, सदस्य

उपस्थितः–

श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता अपीलांटस।

श्री माधवराज सिंह, अधिवक्ता रेस्पो0।

निर्णय

दिनांकः— 19.12.2024

अपीलांटस द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा अपील संख्या 211/05 उनवानी गोविन्द सिंह बनाम सरवेश सिंह व अन्य में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.06.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की हैं।

2— प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 एवं 89 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती बाबत् न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, भरतपुर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाकै ग्राम बोलखेड़ा में स्थित आराजी खसरा संख्या 561/0.23 है0, 562/0.95 है0 भूमि उनके पिता के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी थी जिस पर उनका ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादीगण का उक्त आराजी पर कभी भी कोई कब्जा नहीं रहा। राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण के गलत इन्द्राज खिलाफ मौका व कब्जा है। अतः प्रतिवादी का नाम इन्द्राज दुरूस्ती कर वादीगण के नाम दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करते हुए उक्त आराजी की खातेदारी घोषणा प्रदान की जावें। वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए गए तथा प्रतिवादीगण ने जवाब दावा पेश कर वाद के कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वाद खारिज किए जाने का निवेदन किया। जिस पर विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 31.08.2005 द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर रेस्पो0 ने प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के समक्ष पेश की। जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2006 द्वारा स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त कर दिया। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलांटस ने यह अपील मण्डल न्यायालय के समक्ष पेश की है।

3— हमनें उपभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी ।

4— अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश कर कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं अभिलेख

पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश आदेश 41 नियम 31 सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत है क्योंकि तहत न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री तनकीवार आदेश 20 नियम 5 के तहत पारित की गई है। अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य पर कोई विवेचन एवं विश्लेषण नहीं किया। विवादित आराजी खसरा संख्या 561 व 562 प्रथम बार संवत् 2016 से 2019 की जमाबंदी में वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 के पिता रघुवीरसिंह के नाम दर्ज हुई। उक्त इंद्राज बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के किए गए। आरटी एक्ट 1955 प्रभाव में आने से पूर्व वर्तमान अपीलांट के पिता सरदार सिंह उक्त आराजी पर कृषक के तौर काबिज रहे। जमाबंदी संवत् 2011–14 में खुदकाश्त सरदार सिंह हिस्सेदार दर्ज है और खसरा गिरदावरी संवत् 2012 खुदकाश्त सरदार सिंह, खसरा संख्या 561 व 562 पर दर्ज है एवं नामांतकरण संख्या 692 दिनांक 22.11.1960 सरदार सिंह वल्द बलदेव हिस्सेदार के पक्ष में उसके खाते की खातेदारी स्वीकृत की गई है जिसमें हमारा खसरा संख्या 561 व 562 नहीं है। उपरोक्त वर्णित राजस्व रिकार्ड के आधार पर यह तथ्य स्पष्ट है कि विवादित आराजी सरदार सिंह की खुदकाश्त की आराजी रही है जिसमें रघुवीर सिंह का किसी भी प्रकार से कोई सरोकार नहीं है। उपरोक्त महत्वपूर्ण दस्तावेजों के आधार पर तहत न्यायालय द्वारा वादी/अपीलांट के पक्ष में वाद को डिक्री किए जाने में कोई त्रुटि कारित नहीं की गई थी, जिसमें अपीलीय न्यायालय ने हस्तक्षेप कर त्रुटि कारित की है। वर्तमान अपीलांट द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अपील के विचाराधीन रहते आदेश 41 नियम 27 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नामांतकरण संख्या 682, 692, 20, 301 एवं खसरा गिरदावरी चतुवर्षीय संवत् 201–2015 प्रस्तुत की। उक्त राजस्व रिकार्ड से भी अपीलांट का वाद साबित है। उक्त राजस्व रिकार्ड के आधार पर ही तहत न्यायालय द्वारा वाद को डिक्री किया है। उक्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज के खंडन में विपक्षी द्वारा कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए है। अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि जमाबंदी संवत् 2015 में अकेले सरदार सिंह का नाम कृषक की हैसियत से दर्ज है जिसमें आराजी खसरा संख्या 561, 562 दर्ज है। तब अचानक संवत् 2016–19 में रघुवीर सिंह का नाम किस प्रकार दर्ज किया गया, जबकि जमाबंदी संवत् 2011–14 में अपीलांट/वादी के पिता सरदार सिंह की खुदकाश्त दर्ज है। उक्त महत्वपूर्ण राजस्व रिकार्ड को अनदेखा कर अपीलीय न्यायालय द्वारा केवल मात्र दिनांक 20.11.1974 के इंद्राजातों को

महत्व दिया है जो कि पश्चातवर्ती इंद्राजात है जिनका कोई प्रभाव नहीं है। अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट अपना वाद कब्जा मुखालफाना के आधार पर नहीं लेकर आया है बल्कि राजस्व इंद्राजातों को दुरूस्त करने के लिए लेकर आया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.06.2006 को निरस्त किया जावें तथा उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कामां द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.08.2005 को यथावत् रखा जावें।

5— विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने लिखित बहस पेश कर कथन किया कि विवादित आराजी खसरा संख्या 561, 562 पैतृक जमीन है। जिसकी पुष्टि स्वयं पीडब्ल्यू 1 नरेशसिंह ने अपने बयान में की है। जहां पर उन्होंने स्वयं माना है कि हमारे पिता के चार भाई थे, सबसे बड़े गिर्राज सिंह, उससे छोटे रघुवीर सिंह, तीसरे सरवेश सिंह तथा रामसिंह थे। उन्होंने यह भी माना कि किसके पास कितनी जमीन आई है, उन्हें नहीं पता है। इसके अलावा वह स्वयं मानते है कि इस विवादित आराजी के अलावा उनके पास और भी जमीनें हैं। इसी तथ्य को अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में माना कि विवादित आराजी चारों भाईयों की खुदकाश्त 20.11.74 में थी इसलिए अकेले सरदारसिंह को उक्त आराजी पर नामांतकरण संख्या 692 दिनांक 22.11.60 को तस्दीक होने से काश्त दर्ज करना और दूसरी ओर संवत् 2016—19 की जमाबंदी में आराजी खसरा संख्या 561, 562 रघुवीर सिंह की खातेदारी में दर्ज करने को परीक्षण न्यायालय ने विवेचित नहीं किया, केवल परीक्षण न्यायालय ने प्रविष्ठियों में त्रुटि होना मानकर जो निर्णय पारित किया था वह विधिविरूद्ध था। नामांतकरण संवत् 2017 में भरा गया था और जमाबंदी संवत् 2016—19 में खसरा संख्या 561, 562 पर खातेदारी अन्य खसरा नंबर के साथ रघुवीर की दर्ज की हुई है और संवत् 2012 में सरदारसिंह खुदकाश्त में अकेला नहीं था इसलिए अकेले सरदारसिंह को धारा 13, 15, 19 में भी किसी भी तरह खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। परीक्षण न्यायालय ने नामांतकरण संख्या 692 दिनांक 22.11.60 से प्रतिवादी के पिता रघुवीर सिंह के पक्ष में खातेदारी अधिकार देने का जिक्र अपने निर्णय में किया है जबकि इस नामा. के कॉलम संख्या 5 में सरदारसिंह का नाम है। जमाबंदी में भी सरवेश सिंह के आगे हिस्सेदार शब्द लिखा है इसका मतलब वह स्वयं अकेला खुदकाश्त नहीं है। जिसे अनदेखा करते हुए

निर्णय पारित करने में परीक्षण न्यायालय ने त्रुटि कारित की है। वादी/अपीलांट विवादित आराजी पर भी लगातार अपना कब्जा किसी भी दस्तावेज से साबित नहीं कर पाए है। अपीलीय न्यायालय ने विधिक प्रावधानों की पालना करते हुए अपना निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

6— हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों व डिक्री का अवलोकन किया ।

7— हस्तगत प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष सरवेश सिंह, गोपाल सिंह, नरेश सिंह, महेश सिंह, रमेश सिंह, महेन्द्र सिंह पिसरान सरदार सिंह निवासी बौलखेड़ा द्वारा आराजी खसरा संख्या 561 रकबा 0.23 है0, 562 रकबा 0.95 है0 बाबत् एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 89 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध गोविन्द सिंह पुत्र रघुवीर सिंह के पेश किया गया। प्रतिवादी ने जवाबदावा पेश कर वाद कथनों से इंकार किया तथा वाद खारिज किए जाने का निवेदन किया। दावे तथा जवाबदावे के आधार पर प्रकरण में दो तनकीयात विचारण न्यायालय द्वारा कायम की गई तथा शहादत उभयपक्ष ली गई। तत्पश्चात् बहस सुनकर के तनकी संख्या 1 का निर्णय निम्नानुसार पारित किया गया। तनकी संख्या 1 निम्न प्रकार हैः— ''आया विवादग्रस्त भूमि हमारे पिता सरदार सिंह के कब्जे काश्त की है। वादीगण प्रतिवादी का नाम विलोपित कर अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है।'' इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण को है। वर्तमान जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। शहादत में गवाहान वादी ने वादीगण का कब्जा बताया है। नामांतकरण संख्या 692 दिनांक 22.11.60 में कृषक के नाम में सरदार सिंह वल्द बलदेव सिंह हिस्सेदार दर्ज है एवं कॉलम संख्या 11 में भी सरदार सिंह वल्द बलदेव सिंह खातेदार दर्ज है। इस प्रकार इस नामांतकरण के माध्यम से सरदार सिंह को खातेदारी प्राप्त होना प्रमाणित है। दस्तावेज 45 वर्ष पुराना है जिसकी सत्यता पर संदेह नहीं हो सकता है। इसी में खसरा संख्या 561 एक बीघा 9 बिस्वा व खसरा संख्या 562, 5 बीघा 17 बिस्वा दर्ज है। नामांतकरण संख्या 682 दिनांक 22.11.60 है जिसमें रघुवीर सिंह जो प्रतिवादी संख्या 1 के पिता है को खातेदारी प्राप्त होना प्रकट होता है। इसमें खसरा संख्या भिन्न है अर्थात् 472, 287, 611, 612 खसरा नंबर अंकित

है। नामांतकरण संख्या 425 दिनांक 22.04.60 है जो भी रघुवीर सिंह के गैर मौरूसी से खातेदार होना अंकित है। परंतु ख.न. 682 रकबा 13 बीघा 14 बिस्वा का अंकन है। जमाबंदी संवत् 2015 के कृषक के कॉलम में सरदार सिंह हिस्सेदार दर्ज है एवं खसरा संख्या 561, 562 विवादित भी दर्ज है। अन्य किसी काश्तकार का नाम दर्ज नहीं है। जमाबंदी संवत् 2016–19 में रघुवीर सिंह वल्द बलदेव सिंह खातेदार दर्ज है। खसरा संख्या 561, 562 भी दर्ज है। विशेष विवरण कॉलम में नामांतकरण संख्या 425, 682 खातेदारी बाबत् नोट अंकित है। जमाबंदी के कॉलम में आराजी खसरा संख्या 561, 562 दर्ज है। नकल जमाबंदी संवत् 2048–51 में खसरा संख्या 561 रकबा 0.23, 562 रकबा 0.95 है0 में गोविन्द सिंह पुत्र रघुवीर सिंह के नाम दर्ज है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वर्तमान में यह भूमि गोविन्द सिंह के नाम दर्ज है परंतु कई वर्षों पूर्व प्राप्त खातेदारी आदि में वादीगण के पिता सरदार सिंह के नाम दर्ज रही है। इस प्रकार इन प्रविष्टियों में जो त्रुटि रही है वह किसी भूल की वजह से आज दिनांक तक चली आ रही है। अतः यह त्रुटि इसी स्तर पर ठीक होने योग्य है और प्रतिवादी संख्या 1 के नाम जो राजस्व रिकार्ड खसरा संख्या 561, 562 का चला आ रहा है वह विलोपित होने योग्य है। इस प्रकार यह तनकी बहक वादीगण निर्णीत किए जाने का पूर्ण आधार पाया जाता है और विवाद्यक बहक वादीगण निर्णित किया जाता है तथा अपने निर्णय दिनांक 31.08.05 द्वारा दावा डिक्री कर खसरा संख्या 561, 562 का खातेदार वादीगण को घोषित किया गया और प्रतिवादी का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया गया।

8– जिसके विरूद्ध प्रतिवादी द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत किए जाने पर अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 17.06.06 से अपील स्वीकार करते हुए उपजिला कलक्टर द्वारा पारित निर्णय अपने निर्णय में निम्नानुसार विवेचन करते हुए निरस्त किया गया कि विवादित आराजी के संबंध में यह तथ्य रिकार्ड से प्रमाणित है कि विवादित आराजी पर सरदारसिंह, रघुवीर सिंह, रामसिंह व गिर्राज सिंह चारों भाईयों की खुदकाश्त 20.11.74 में थी, इसलिए अकेले सरदारसिंह को उक्त आराजी पर नामांतकरण संख्या 692 दिनांक 22.11.60 को तस्दीक होने से काश्त दर्ज करना और दूसरी ओर संवत् 2016–19 की जमाबंदी में आराजी खसरा संख्या 561, 562 रघुवीर की खातेदारी में दर्ज करने के तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय ने विवेचित नहीं किया है। नामांतकरण संवत् 2017 में भरा गया था और जमाबंदी संवत् 2016–19 में

खसरा संख्या 561, 562 पर खातेदारी अन्य ख.न. के साथ रघुवीर सिंह की दर्ज की हुई है इसलिए अकेले सरदारसिंह को आरटीए की धारा 13, 15, 19 के तहत किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते थे फिर भी तहत न्यायालय द्वारा संवत् 2011–14 की खतौनी में सरदारसिंह अकेले को विवादित आराजी का खुदकाश्त मान कर दावे को डिक्री किया है जो आरटीए की धारा 13, 15, 19 के प्रावधानों के नितांत प्रतिकूल है और हास्यास्पद स्थिति यह है कि नामां. संख्या 692 दिनांक 22.11.60 से प्रतिवादी के पिता रघुवीरसिंह के पक्ष में खातेदारी अधिकार देने का जिक्र निर्णय में किया है जबकि इस नामां. के कॉलम संख्या 5 में सरदारसिंह का नाम है जो वादी रेस्पो0 का पिता है। इस प्रकार तहत न्यायालय ने रिकार्ड के अवलोकन करने में भी लापरवाही की है। दूसरी तरफ नामां. संख्या 425 से विवादित खसरा नंबरों के अलावा खसरा नंबरों पर प्रतिवादी 1 के पिता को खातेदारी देने का जिक्र अपने निर्णय में किया है ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 द्वारा न तो पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया तथा ना ही आरटीए के प्रावधानों की प्रभावशीलता पर ध्यान दिया। चूंकि विवादित आराजी पैतृक भूमि है इसलिए इस पर एडवर्श पजेशन का सिद्धांत नहीं बनता है तथा वादी का विवादित आराजी पर कब्जा भी स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं होता है, इसके बावजूद भी अधी0न्याया0 ने वादी का वाद डिक्री करने में कानूनी अहम भूल की है, जो निरस्तनीय है।

9– हमने अपील, संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजात तथा विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के विवेचन तथा दोनों अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णयों का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी संवत् 2011–14 के मुताबिक खैवट संख्या 16 खतौनी जमाबंदी की संख्या 344 में गिर्राज सिंह, रघुवीर सिंह, सरदारसिंह व रामसिंह पिसरान बलदेव सिंह खुदकाश्त कॉलम संख्या 5 में अंकित है। जिसमें आगे के कॉलम संख्या 6 में खसरा संख्या 819, 840, 848, 316, 317, 318, 321, 610, 611, 612, 614, 616, 618, 619, 623, 437, 409, 410 कुल किता 18 कुल रकबा 104 बीघा 18 बिस्वा अंकित है तथा इसके अतिरिक्त इसी जमाबंदी में खतौनी की जमाबंदी संख्या 348 में खसरा संख्या 281, 559, 561 और 562 कुल किता 4 कुल रकबा 19 बीघा 18 बिस्वा का अंकन दर्ज है जिसके कॉलम संख्या 5 कृषक के कॉलम में खुदकाश्त सरदार सिंह हिस्सेदार का नाम दर्ज है। जिससे यह प्रकट होता है कि खतौनी संख्या 344 की जमीन में सब हिस्सेदार बराबर के हकदार है तथा खतौनी संख्या 348

खुदकाश्त सरदारसिंह अकेले की थी। नामांतकरण संख्या 692 जो दिनांक 22.11.60 को तस्दीक किया गया जिसमें खसरा संख्या 614, 623, 681, 559, 561, 562 के कॉलम संख्या 5 के कृषक के कॉलम में सरदार सिंह वल्द बलदेव सिंह अंकित है। जमाबंदी संवत् 2016–19 में खसरा संख्या 561 और 562 रघुवीर सिंह वल्द बलदेव सिंह के नाम दर्ज है। विचारण न्यायालय के निर्णय में नामांतकरण संख्या 682 दिनांक 22.11.60 खसरा संख्या 472, 287, 611 और 612 बाबत् भरा गया है जो रघुवीर सिंह के नाम अंकित है जो प्रतिवादी संख्या 1 के पिता है। इसके बाबत् विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा जो विवेचना अपने निर्णय में की गई है कि हास्यास्पद स्थिति यह है कि नामां. संख्या 692 दिनांक 22.11.60 से प्रतिवादी के पिता रघुवीरसिंह के पक्ष में खातेदारी अधिकार देने का जिक्र निर्णय में किया है जबकि इस नामां. के कॉलम संख्या 5 में सरदारसिंह का नाम है जो वादी रेस्पो0 का पिता है। इस प्रकार तहत न्यायालय ने रिकार्ड के अवलोकन करने में भी लापरवाही की है, वह उनके द्वारा राजस्व रिकार्ड के सही अवलोकन नहीं करने की स्थिति को प्रकट करता है। जबकि नामांतकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप में प्रकट है कि दोनों नामांतकरण संख्या 682 और 692 में अंकित खसरा नंबरान अलग–अलग है। नामांतकरण संख्या 682 में खसरा संख्या 472, 287, 611 व 612 अंकित है तथा नामांतकरण संख्या 692 में खसरा संख्या 614, 623, 681, 559, 561 व 562 अंकित है, जिसका विवेचन विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में स्पष्ट रूप में किया हुआ है। जमाबंदी संवत् 2015 के कृषक के कॉलम में सरदारसिंह खतौनी जमाबंदी संख्या 348 में खसरा नंबर 561, 562 बाबत् अंकित है, जिसमें अन्य किसी काश्तकार का नाम दर्ज नहीं है। संवत् 2016–19 की जमाबंदी और पश्चात्वर्ती जमाबंदी में उक्त आराजीयात गोविन्द सिंह के नाम दर्ज है परंतु उससे पहले यह सरदारसिंह के नाम दर्ज रही है। इस बात की वस्तुस्थिति का अवलोकन करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर निर्णय पारित किया गया और वादी का वाद डिक्री किया गया। जिसे विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार के राजस्व रिकार्ड का सही विवेचन न करके अपास्त किया गया है जो उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अपने निर्णय में यह स्पष्ट नहीं किया है कि जमाबंदी संवत् 2011–14 एवं 2015 में खसरा नंबर 561, 562 बाबत् जब अकेले सरदार सिंह का नाम अंकित है तो अचानक जमाबंदी 2016–19 में रघुवीर सिंह का नाम किस प्रकार दर्ज हुआ है, जबकि 2011–14 में अपीलांट सरवेश सिंह के पिता सरदार सिंह की

खुदकाश्त विवादग्रस्त खसरा नंबर बाबत् दर्ज रही है। खसरा गिरदावरी संवत् 2012–15 में खसरा संख्या 561 और 562 की काश्त बाबत् खुदकाश्त सरदारसिंह की दर्ज होना अंकित है। जो यह प्रकट करता है कि विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का रिकार्ड के परिपेक्ष्य में परीक्षण करते हुए अपना निर्णय पारित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त अपीलीय न्यायालय द्वारा आदेश 41 नियम 31 सीपीसी के प्रावधानों की पालना भी नहीं की गई है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार निर्णय पारित किया गया था। यदि राजस्व अपील प्राधिकारी अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से विपरीत मत रखता है तो सीपीसी के इन आज्ञापक प्रावधानों के अनुरूप तनकीवार अपना अभिमत प्रकट करते हुए निर्णय पारित करना चाहिए था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया है। इसी प्रकार विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अपने निर्णय में धारा 13, 15 व 19 राज0काश्त0अधि0 के प्रावधानों का हवाला देते हुए एवं एडवर्श पजेशन का तथ्य अंकित करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय का निर्णय राजस्व रिकार्ड की प्रविष्टियों की अनदेखी करते हुए खारिज किया गया है, जो युक्तिसंगत प्रकट नहीं होता है। चूंकि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मूल वाद वादीगण द्वारा धारा 88 व 89 राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश किया गया था, जिसके क्रम में रिकार्ड से वादीगण का अभिकथन पुष्ट प्रमाणित पाए जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा अपना निर्णय पारित किया गया था, जो विधि अनुरूप एवं राजस्व रिकार्ड के परिपेक्ष्य में समुचित प्रतीत होता है। परिणामतः हमारी विनम्र राय में अपील अपीलांटस स्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

10– परिणामतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17–06–06 अपास्त किया जाता है तथा उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कामां जिला भरतपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री 31–08–2005 यथावत् रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पुरूषोत्तम लाल सैनी)
सदस्य

(रामदयाल मीणा)
सदस्य